



कोनी पुलिस थाना के सामने, रत्नपुर रोड, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक :- ३५९ / मा.स.के.पु. / का.प. / 2024

बिलासपुर, दिनांक 23/08/2024

-// अधिसूचना //-

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के माधव राव सप्रे केन्द्रीय पुस्तकालय की सुविधाओं और सेवाओं का विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के अनुसंधानकर्ता, नियमित एवं स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं तथा नागरिकों के अधिकतम उपयोगार्थ के दृष्टिकोण से केन्द्रीय पुस्तकालय समिति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार प्रावधान माधवराव सप्रे केन्द्रीय पुस्तकालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में अनुमोदित किया गया है। जिसे इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से प्रभाव पूर्ण लागू किया जाता है।

सदस्यता के लिए निर्धारित पुस्तकालय शुल्क एवं सुरक्षा निधि राशि

सदस्यता का प्रकार	पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	चेक आउट लिमिट	अवधि	सदस्यता अवधि
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के शिक्षक / अतिथि शिक्षक	05	15 दिवस	अनुबंध अनुसार
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अधिकारी / कर्मचारी	03	10 दिवस	अनुबंध अनुसार
विश्वविद्यालयों के छात्र	प्रवेश शुल्क में समाहित है।	..	03	10 दिवस	1 वर्ष
विश्वविद्यालयों के शोधार्थी	प्रवेश शुल्क में समाहित है।	..	05	15 दिवस	1 वर्ष
अन्य संस्थाओं के व्यक्ति	1000	1 वर्ष
अन्य संस्थाओं की संस्थागत सदस्यता	2500	1 वर्ष
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत स्वाध्यायी छात्र-छात्राएँ	पंजीयन शुल्क में समाहित है।	1 वर्ष
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के आकास्मिक आगंतुक	20 / दिवस	1 दिन (कार्यालय समयावधि हेतु)
शहर के गणमान्य नागरिकों के लिए	1200	1 वर्ष

नोट :- उपरोक्त प्रावधान के लिए आवश्यक पुस्तकालय सदस्यता कार्ड हेतु राशि 50/- रुपये प्रति उपयोगकर्ता से शुल्क लिया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में कार्ड के द्वितीय प्रति बनवाये जाने हेतु यथा माधवराव सप्रे पुस्तकालय नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

पुस्तकालय सेवाएँ निम्नानुसार समायावधि के अंतर्गत संचालित की जायेगी :—

1. वाचनालय (सामान्य एवं संदर्भ विभाग) सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक,
2. पत्र-पत्रिकाएँ एवं कैरियर मार्गदर्शन सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक,
3. परिसंचरण विभाग एवं ई-पुस्तकालय सुबह 10:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक,
4. पुस्तकालय सदस्यता हेतु सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक,
5. पुस्तकालय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक,
6. प्रत्येक शनिवार सिर्फ वाचनालय सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक,
7. सभी सार्वजनिक अवकाशों/राष्ट्रीय अवकाशों पर पुस्तकालय बंद रहेगा,
8. पुस्तकालय का उपरोक्त समय, समय—समय पर परिवर्तन के अधीन है जिसे पुस्तकालय/विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

प्रसार सीमा केवल पुस्तकों के लिए

श्रेणी	पुस्तकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम निर्गम अवधि
विद्यार्थी	03	10 दिनों के लिए
शोधार्थी	05	15 दिनों के लिए
शिक्षक / अतिथि शिक्षक	05	20 दिनों के लिए
अधिकारी / कर्मचारी	03	10 दिनों के लिए
स्वाध्यायी विद्यार्थी
शहर के गणमान्य नागरिक

नोट :— उपरोक्त प्रावधानों पर केन्द्रीय पुस्तकालय समिति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार समय—समय पर संशोधन एवं निर्णय के आधीन है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,

पृष्ठांकन क्रमांक :— ३९०/मा.स.के.पु./का.प./2024

बिलासपुर, दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपि :—

- 01/ माननीय कुलपति महोदय के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 02/ समस्त संबद्ध महाविद्यालय को अपने वेबसाइट एवं नोटी बोर्ड पर चर्चा कर छात्र—छात्राओं के समक्ष सूचित करने के आशय के साथ प्रेषित।
- 03/ विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को अपने वेबसाइट एवं नोटी बोर्ड पर चर्चा कर छात्र—छात्राओं के समक्ष सूचित करने के आशय के साथ प्रेषित।
- 04/ समस्त क्षेत्रीय एवं दैनिक समाचार पत्रों को जनसूचना के अंतर्गत नागरिकों के हित में प्रसारित करने के आशय के साथ प्रेषित।
- 05/ वित्ताधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर के सादर सूचनार्थ।
- 06/ कार्यालयनी संधारण हेतु।

सहा. ग्रंथपाल